

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-

(पत्रांक-90/2024 दिनांक 30.03.2024)

दिनांक-30.03.2024 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

थाना तुर्कपट्टी पुलिस द्वारा 02 अदद पिकप वाहन से तस्करी कर वध हेतु ले जायी जा रही 05 राशि गोवंश के साथ दो पशुतस्करों को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री अभिषेक प्रताप अजेय के नेतृत्व में गोतस्करों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.03.2024 थाना तुर्कपट्टी पुलिस द्वारा 02 अदद पिकप वाहन से तस्करी कर वध हेतु ले जायी जा रही 05 राशि गोवंश के साथ दो पशुतस्करों को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 98 /2024 धारा 3/5A/5B/8 गो0नि0 अधि0 व धारा 11(1)D पशु क्रूरता अधि0 में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 98 /2024 धारा 3/5A/5B/8 गो0नि0 अधि0 व धारा 11(1)D पशु क्रूरता अधि0

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1- सफीक धोबी पुत्र निजामुद्दीन साकिन पडरी तिलक राय थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
- 2- वकील सिंह पुत्र हेन्द्र सिंह साकिन रामपुर बांगरा थाना तरयासुजान जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण-

1. दो अदद पिकप वाहन
2. 05 राशि गोवंश

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री अनिल कुमार सिंह थाना तुर्कपट्टी कुशीनगर
2. उ0नि0 अरविन्द कुमार सिंह चौकी प्रभारी मधुरिया थाना तुर्कपट्टी कुशीनगर
3. का0 अरविन्द यादव थाना तुर्कपट्टी कुशीनगर
4. का0 रामजी थाना तुर्कपट्टी कुशीनगर
5. का0 उमेश यादव थाना तुर्कपट्टी कुशीनगर
6. का0 सुनील सरोज थाना तुर्कपट्टी कुशीनगर

थाना कुबेरस्थान पुलिस द्वारा 03 नफर वारन्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.03.2024 को थाना कुबेरस्थान पुलिस द्वारा एसटी नं0 176/04 धारा 307 भा0द0वि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वारण्टी रामलक्षन पुत्र नरसिंह निवासी ग्राम सिसवा रुपही थाना धनहा जिला पश्चिमी चम्पारण बिहार एवं मु0नं0 1394/2014 धारा 147/323/324/325/427/504/506 भा0द0वि0 से सम्बन्धित 02 नफर वारन्टीगण 1. नन्दलाल पुत्र जानकी साकिन पिपरासी बाजार थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर, 2. बृजलाल पुत्र जानकी साकिन पिपरासी बाजार थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

1. एसटी नं0 176/04 धारा 307 भा0द0वि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट
2. मु0नं0 1394/2014 धारा 147/323/324/325/427/504/506 भा0द0वि0

गिरफ्तार वारण्टीगण-

1. रामलक्षन पुत्र नरसिंह निवासी ग्राम सिसवा रुपही थाना धनहा जिला पश्चिमी चम्पारण बिहार
2. नन्दलाल पुत्र जानकी साकिन पिपरासी बाजार थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर
3. बृजलाल पुत्र जानकी साकिन पिपरासी बाजार थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्र0नि0 श्री अजय कुमार मौर्य थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 श्री वीरेन्द्र यादव थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर
3. उ0नि0 श्री कमलेश सिंह थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर
4. उ0नि0 श्री राजकुमार थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर
5. हे0का0 जितेन्द्र यादव थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर
6. का0 आनन्द गुप्ता थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर
7. का0 विकास थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर
8. का0 अभिषेक कुमार सिंह थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर
9. म0का0 पुनीता सिंह थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर

थाना तमकुहीराज पुलिस द्वारा पशु तस्कर गैंग के 02 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में जनपद कुशीनगर में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाये जाने व अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.03.2024 को पशु तस्करी गैंग से संबंधित अभियुक्तगण

1.सहाबु पुत्र कालू ग्राम नीरपड़ा थाना दोघट जनपद बागपत 30प्र0, 2.कलूआ पुत्र हाफिज ग्राम मुहल्ला कुरैसियान शाहजहांपुर थाना किठौर जनपद मेरठ 30प्र0 के विरुद्ध थाना तमकुहीराज द्वारा 3(1) 30प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अभियुक्तगणों द्वारा अपने व अपने परिवार एवं सगे संबंधियों/ गैंग सदस्यों के लिए आर्थिक व भौतिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से गोवंशीय पशु को उत्तर प्रदेश से बिहार राज्य में ले जाकर गोकशी कर अधिक रूपया अर्जित कर अपना जीवन यापन करने का एक संगठित गैंग है। गैंग के सदस्य दिनांक-28.02.2023 को एक अदद कन्टेनर नं0 RJ02GA 5799 पर 28 राशि गोवंशीय पशु लाद कर वध हेतु बिहार ले जा रहे थे कि मुखबीर की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा इस गिरोह को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 28 राशि गोवंशीय पशु बरामद किया गया था जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0-56/2023 धारा- 3/5A/8/5B गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम पंजीकृत है। यह गिरोह संगठित होकर अपने व अपने अन्य साथियो के लिए आर्थिक /भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश से पशु तस्करी करने का कार्य करता है एवं अवैध सम्पत्ति अर्जित करता है जिनके विरुद्ध आज थाना हाजा पर मु0अ0सं0 80/2024 धारा 3(1) 30प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी

थाना बरवापट्टी पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या आदि के मुकदमे में वांछित एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.03.2024 को थाना बरवापट्टी पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 036/2024 धारा 279/304 भादवि0 व 184 mv act से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त ट्रैक्टर चालक/मालिक मोतीलाल कुशवाहा पुत्र बालखिला निवासी रामपुर बरहन टोला परोरही थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 036/2024 धारा 279/304 भादवि0 व 184 mv act

गिरफ्तार वांछित अभियुक्त-

ट्रैक्टर चालक/मालिक मोतीलाल कुशवाहा पुत्र बालखिला निवासी रामपुर बरहन टोला परोरही थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
2. व030नि0 श्री संजय कुमार सिंह थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
3. 30नि0 श्री अखिलेश कुमार यादव थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
4. 30नि0 रमेश यादव थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
5. हे0का0 प्रभाकर यादव थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर

6. का0 रामकिशुन यादव थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
7. का0 रंजीत कुमार थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर

थाना तरया सुजान पुलिस द्वारा एक अदद पिकअप वाहन कीमत लगभग 8,00,000/- (आठ लाख रुपये) की सम्पत्ति गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गयी जब्त-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में जनपद कुशीनगर में कानून व्यवस्था को और सुदृढ बनाये जाने व अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री अभिनव त्यागी के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज श्री जितेन्द्र सिंह कालरा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 30.03.2024 को थाना तरया सुजान पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 302/2022 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 से सम्बन्धित अभियुक्त सुनील राय पुत्र सुरेंद्र राय सा0 चौपथिया थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर के द्वारा अवैधानिक कृत्यो से अर्जित सम्पत्ति से एक अदद पिकअप वाहन संख्या UP 57T7372 बोलेरो पिकअप कीमत लगभग 8,00,000/ (आठ लाख रुपये) को धारा 14(1)उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 के अन्तर्गत जब्त किया गया।

जब्तीकरण की गयी सम्पत्ति का विवरण-

(कुल कीमत लगभग 8,00,000/ (आठ लाख रुपये)

एक बोलेरो पिकअप वाहन संख्या UP57T7372(कीमत लगभग 8,00,000/- (आठ लाख रुपये)

जब्तीकरण की कार्यवाही करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 आशुतोष सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
2. अपराध निरीक्षक श्री महेन्द्र प्रताप सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
3. व0उ0नि0 श्री श्याम लाल निषाद थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
4. हे0मो0 सुचित कुमार थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
5. का0 सुनील यादव थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
6. का0 सुधीर गौड़ थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
7. का0 प्रियांशु यादव थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

थाना रामकोला पुलिस द्वारा एक नफर वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.03.2024 को थाना रामकोला पुलिस टीम द्वारा वारण्टी अभियुक्त मु0नं0 4960/2012 धारा 504/506 भादवि से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त छुन्नी उर्फ सुदर्शन पुत्र सुभग राजभर सा0 लाला छपरा टोला भटवलिया थाना रामकोला जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0नं0 4960/2012 धारा 504/506 भादवि थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

छुन्नी उर्फ सुदर्शन पुत्र सुभग राजभर सा0 लाला छपरा टोला भटवलिया थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 श्री विनय सिंह थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 शिवम द्वीवेदी थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
3. का0 धर्मचन्द्र राम थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
4. का0 कृष्ण कुमार थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

थाना अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा 02 नफर वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.03.2024 को थाना अहिरौली बाजार पुलिस टीम द्वारा मु0नं0 81/2019 धारा 427/504/506 भादवि से सम्बन्धित वारंटी अभियुक्तगण क्रमशः 1-धर्मेन्द्र पुत्र नरसिंह 2- नरसिंह पुत्र हरिकिशन साकिन अरकपुर थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण व अभियोग का विवरण-

- 1- धर्मेन्द्र पुत्र नरसिंह साकिन अरकपुर थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर सम्बन्धित मु0नं0 81/2019 धारा 427/504/506 भादवि थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
- 2- नरसिंह पुत्र हरिकिशन साकिन अरकपुर थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर सम्बन्धित मु0नं0 81/2019 धारा 427/504/506 भादवि थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1- थानाध्यक्ष मनोज कुमार वर्मा थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
- 2- उ0नि0 पुरूषोत्तम पाण्डेय थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
- 3- का0 धर्मेन्द्र कुमार थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

थाना तुर्कपट्टी पुलिस द्वारा पशु तस्कर गैंग के 02 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में जनपद कुशीनगर में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाये जाने व अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.03.2024 को पशु तस्करी गैंग से संबंधित अभियुक्तगण 1. निशार अंसारी पुत्र नबी रशूल अंसारी पता दशहवां , पुष्पकनगर थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर, 2. कलामुद्दीन पुत्र नसीम पता दशहवां, पुष्पकनगर थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर के विरुद्ध थाना तुर्कपट्टी द्वारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अभियुक्तगणों द्वारा अपने व अपने परिवार एवं सगे संबंधियों/ गैंग सदस्यों के लिए आर्थिक व भौतिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से गोवंशीय पशु को उत्तर प्रदेश से बिहार राज्य में ले जाकर गोकशी कर अधिक रूपया अर्जित कर अपना जीवन यापन करने का एक सुगठित गैंग है। गैंग के सदस्य द्वारा दिनांक 02.02.2023 को एक अदद पिकप संख्या UP.57A.T.7159 मय 03 राशि गोवंशी पशु गाय व एक अदद लोहे का दाव बरामद कर अभियुक्तगण निशार अंसारी पुत्र नबी रशूल अंसारी पता दशहवां , पुष्पकनगर थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर व कलामुद्दीन पुत्र नसीम पता दशहवां पुष्पकनगर थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 123/23 धारा 3/5A/5B/8 गोबध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट परिणाम आरोप पत्र संख्या A119/19.04.2023 पंजीकृत है। यह गिरोह संगठित होकर अपने व अपने अन्य साथियों के लिए आर्थिक /भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश से पशु तस्करी करने का कार्य करता है एवं अवैध सम्पत्ति अर्जित करता है जिनके विरुद्ध आज थाना हाजा पर मु0अ0सं0 100/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी

थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा चोरी के समान के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.03.2024 को थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 372/2023 धारा 457,380,411 भादवि0 से सम्बन्धित अभियुक्त मनोहर पुत्र लक्ष्मण साकिन नरचोचवा टोला नटवलिया थाना नेबुआ नौरंगिया कुशीनगर को थाना क्षेत्रांतर्गत गुलहरिया चौराहे के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की एक जोड़ी बिछिया सफेद धातु का बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 372/2023 धारा 457,380,411 भादवि

बरामदगी का विवरण-

एक जोड़ी बिछिया सफेद धातु का

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 श्री हर्षवर्धन सिंह थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 पंकज यादव थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
3. उ0नि0 भीम यादव थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
4. का0 परमेश यादव थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
5. का0 आदित्य यादव थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर
6. म0का0 पूजा थाना ने0नौ0 जनपद कुशीनगर

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 77नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में =

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-04वाहन
- 2- 107/116 में की गयी कार्यवाही-मु0-185,व्यक्ति-2398
- 3- वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(10)
- 4-जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-87)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर